राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1570/2021

गुलाब चन्द वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, भूजल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, भूजल विभाग, जोधपुर।
3. सहायक अभियंता, भूजल विभाग, 72बी, झालाना डूंगरी सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिसम्बर, 1981 में चयन प्रक्रिया अपनाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्लीनर कम चौकीदार के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 02.12.1981 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की सेवा नियमित कर अपीलार्थी को स्थायी किया गया। दिनांक 25.01.1992 के आदेश के तहत अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 05.01.1992 से रूपये 800–15–950–20–1250 में फिक्स किया गया। उसके पश्चात् 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.09.2000 से वेतन श्रृंखला 3200–85–4900 में उच्च पद की वेतन श्रृंखला के अनुसार फिक्स किया गया। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 06.08.2009 के द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998 के तहत तृतीय चयनित वेतनमान 5000–150–8000 में निर्धारित करते हुए फिक्स किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के करीब 1 वर्ष 6 माह पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 04.12.2020 आदेश क्रमांक 342 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 02.12.1999 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान के फिक्सेशन आदेश दिनांक 06.07.2000 को निरस्त किया गया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 04.12.2020 आदेश क्रमांक 345 के द्वारा

अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के आदेश को संशोधित करते हुए रनिंग पे बेण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1850/– में फिक्स किया गया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 27.01.2021 आदेश क्रमांक 466 के द्वारा अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 06.08.2009 को निरस्त किया गया। जो अपने आप में अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण आदेश है। प्रत्यर्थी सं. 3 ने प्रत्यर्थी सं. 2 के आदेश दिनांक 04.12.2020 की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 02.12.2008 से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान को आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.2020 के द्वारा संशोधित करते हुए वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 1850/– में संशोधन किया गया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 28.01.2021 के द्वारा अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान 3200–4900 की जगह पर 2750–4400/– में परिवर्तित किया गया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान को 5000–8000/– की जगह पर 5200–20200 ग्रेड पे 3200/– की जगह ग्रेड पे 1850/– संशोधित करते हुए अपीलार्थी के पेंशन परिलाभों से कुल राशि 10,61,273/– रुपये की वसूली के आदेश जारी किये, जो अपने आप में अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। अपीलार्थी पदोन्नति पद हैल्पर की योग्यता रखता था। इसलिए अपीलार्थी को पदोन्नति पद की 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 800–15–950–20–1250 में फिक्सेशन किया गया, जो नियमानुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिया गया। अपीलार्थी का द्वितीय पदोन्नति पद सहायक वैदक (Asst- Driller) का पद है जिसकी अपीलार्थी योग्यता रखता है। इसलिए अपीलार्थी को पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला आदेश दिनांक 17.07.2000 के द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 ने दिनांक 01.09.2000 से वेतन श्रृंखला 3200–85–4900 में फिक्सेशन किया गया, जो राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार विधिनुसार सही किया गया था। अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र दिनांक 30.03.2009 प्रस्तुत कर दिनांक 02.12.2008 का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान तृतीय पदोन्नति वैदक (Driller) के वेतनमान में वेतन श्रृंखला 5000–8000 में फिक्स करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान नियम 12008 में अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला को पुनरीक्षित करते हुए पीवी बेण्ड–2 वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे 3200/– में फिक्स किया गया, जो विधिनुसार जारी किया गया था। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी सं0–2 व 3 द्वारा पारित आदेश क्रमांक 342 दिनाँक 04.12.2020, आदेश क्रमांक 345 दिनांक 04.12.2020, आदेश क्रमांक 466 दिनांक 27.01.2021 व आदेश दिनांक 23.12.2020 व 28.01.2021 को वसूली की सीमा तक अपास्त किया जावे। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थीया से किसी प्रकार की वसूली करना अवैध व अनुचित है तथा पेंशन परिलाभों पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित एरियर का भुगतान प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी को दिलाया जायें।

(ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।

(ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि विभागीय आक्षेपित आदेश पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं राजहित में किया गया तथा इस आदेश में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। नियमानुसार ही अपीलार्थी के चयनित वेतनमानों में संशोधन किया गया है। अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में स्वीकृत द्वितीय चयनित वेतनमान 3200–4900 के स्थान पर संशोधित वेतन श्रृंखला 2750–4400 तथा पूर्व में स्वीकृत तृतीय चयनित वेतनमान 5000–8000 के स्थान पर संशोधित रनिंग पे बैण्ड 5200–20200, ग्रेड पे 1850/– रूपये स्वीकृत की गयी। द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमानों में संशोधन के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के आदेश जारी किये गये, क्योंकि कर्मचारी राजस्थान भू जल अधिनस्थ सेवा नियम, 1973 के अनुसार द्वितीय चयनित वेतनमान हेतु सहायक वेधक तथा तृतीय चयनित वेतनमान हेतु वेधक के पद की योग्यता पूर्ण नहीं करता है। इस कारण विद्यमान वेतनमान स्वीकृत किया गया। इसमें विभाग द्वारा कोई पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं किया गया। क्लीनर की प्रथम पदोन्नति हैल्पर के पद पर तथा द्वितीय पदोन्नति सहायक वैधक के पद पर की जाती है परन्तु कर्मचारी की पदोन्नति हैल्पर के पद पर हुई ही नही तो नियमानुसार द्वितीय चयनित वेतनमान पर सहायक वैधक के पद का ग्रेड दिया जाना संभव नही। हैल्पर के पद पर पदोन्नति पश्चात् ही कर्मचारी सहायक वेधक के पद की योग्यता रखता है। उनका आगे कथन है कि वित्तीय सलाहकार से जांच कराने पर

यह ज्ञात हुआ की कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान नियमानुसार सही नही है। उसके पश्चात् प्रकरण की पूर्ण जांच कर कर्मचारी को स्वीकृत द्वितीय एवं तृतीय एसीपी नियमानुसार उस पद की योग्यता न रखने के कारण निरस्त कर संशोधित किये गये। इन सब कार्यवाही में समय लगा, विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर जानबुझकर पेंशन प्रकरण में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया।

3. अपीलार्थी की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी राजस्थान भू–जल अधीनस्थ सेवा नियम 1973 के अनुसार द्वितीय चयनित वेतनमान हेतु सहायक वेधक तथा तृतीय चयनित वेतनमान हेतु वेधक के पद की योग्यता पूर्ण नहीं करता है। इस कारण विद्यमान वेतन श्रृंखला आलोच्य आदेश के द्वारा स्वीकृत की गई है, जो पूर्ण रूप से गलत है। उक्त सेवा नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी/क्लिनर के पद से हेल्पर के पद पर 100 प्रतिशत प्रमोशन से पद भरे जाने का प्रावधान है तथा 5 साल का क्लिनर/चौकीदार का अनुभव होने के आधार पर ही पदोन्नति की जाती है, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं करने के कारण हैल्पर के पद का राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान दिया गया। उसके पश्चात् हेल्पर से सहायक वेधक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। जिसमें कर्मचारी के पास 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा अनुभव प्रमाण पत्र 4000 फीट डिलींग कार्य का अनुभव होना जरूरी है। अपीलार्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, जिसका रिकॉर्ड प्रत्यर्थीगण के पास मौजूद है तथा अपीलार्थी 16 जुलाई, 1990 से लगातार मशीन पर क्लिनर के पद पर कार्यरत है। इस कारण मशीन पर रहकर लगभग 4500 मीटर ड्रिलिंग का कार्य किया है। जिसका प्रमाण पत्र भी सहायक अभियंता भूजल विभाग, जयपुर ने दिनांक 03.08.1994 को जारी किया था तथा सहायक वेधक से वेधक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। जिनमें 75 प्रतिशत सहायक वेधक के पद से भरे जाने का प्रावधान है। जिसकी भी अपीलार्थी सम्पूर्ण योग्यता रखता है तथा अपीलार्थी को योग्यता रखने के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की पदोन्नति नही की। उक्त तथ्यों के बावजूद अपीलार्थी को जो चयनित वेतनमान दिया गया था वो मनगढ़ंत तथ्यों का उल्लेख करते हुए सेवानिवृत्ति के पश्चात् निरस्त किया गया है जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये अभिकथनों पर विचार किया।

5. इस प्रकरण में अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 05.01.1992 से, 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.09.2000 से उच्च पद की वेतन श्रृंखला के अनुसार दिया गया है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 06.08.2009 के द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 के तहत तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया गया। अपीलार्थी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2019 को हुई थी। जिसके पश्चात अपीलार्थी को पूर्व में दिये गये 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के आदेशों को निरस्त किया गया और अपीलार्थी के 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान को संशोधित किया गया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी उच्च पद पर पदोन्नत होने की योग्यता रखता था। ऐसे में उसे सही प्रकार से लाभ दिया गया था। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी प्रथम पदोन्नति हैल्पर के पद पर, द्वितीय पदोन्नति सहायक वेधक के पद पर पदोन्नति की योग्यता नहीं रखता था। ऐसे में उन्हें द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान नियमानुसार नहीं दिया गया था, जिसे निरस्त कर संशोधित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

6. हमारे मत में अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ पूर्व में दिया गया था, वह क्रमशः वर्ष 2000 एवं 2009 में दिया गया था और अपीलार्थी इसके पश्चात दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत हो गया था। सेवानिवृति के करीब 1 वर्ष 6 माह पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195
> "12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:
> (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
> (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
> (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
> (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
> (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an

extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

7. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि सेवानिवृति के पश्चात वसूली किया जाना उचित नही है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.08.2016 में भी यह माना है कि सेवानिवृत कर्मचारी को चयनित वेतनमान का लाभ देने के बाद वसूली नहीं की जावे। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी से करीब 10 वर्ष पश्चात वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी को जो पूर्व में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, वह अपीलार्थी को पदोन्नति योग्य मानते हुए दिया गया था, बाद में अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृति के पश्चात पदोन्नति योग्य नहीं माना गया, जो उचित नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी को जो पूर्व में 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, उसे निरस्त कर वेतनमान को संशोधित किया जाना हम उचित नहीं पाते है।

8. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 04.12.2020 (अनुलग्नक–1), 04.12.2020 (अनुलग्नक–2), आदेश दिनांक 27.01.2021 (अनुलग्नक–3) व आदेश दिनांक 23.12.2020 (अनुलग्नक–4), 28.01.2021 (अनुलग्नक–5) अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जो 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ पूर्व में दिया गया था, उन्हें यथावत रखा जाएं एवं अपीलार्थी को उसी के अनुसार सेवानिवृति लाभ प्रदान किये जावे और अपीलार्थी से कोई वसूली भी नहीं की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)